

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2641]नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2013/अग्रहायण 5, 1935No. 2641]NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2013/AGRAHAYANA 5, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2013

का.आ. 3486(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

अनुसूची

"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, रारा सं. 20ए, रारा सं. 21 [कि.मी. 73.200 से	हिमाचल प्रदेश
	कि.मी. 190.000 तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22, [सीमा सड़क	राज्य सरकार"
	विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों और कि.मी. 62.200 से कि.मी. 67.200	
	तक (हरियाणा⁄हिमाचल सीमा-दिल्ली) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	
	21ए, रारा सं. 70, रारा सं. 72 रा. रा. सं. 72बी, रारा सं. 73ए, रारा सं.	
	88 और नई रारा सं. 305 के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में	
	अवस्थित हैं ।	

[फा. सं. एनएच-14013/20/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण :-मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी उसे पिछली बार का.आ. 3050(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2013

S.O. 3486(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

"9	So much of National Highways No. 20, No. 20A, No.21 (excluding from km.	State Government of
	73.200 to km. 190.000), No. 22 [excluding the stretches entrusted to Border	Himachal Pradesh."
	Road Development Board and from km. 62.200 to km. 67.200	
	(Haryana/Himachal Border-Delhi)], No. 21A, No.70, No. 72, No. 72B, No.	
	73A, No.88 and new NH No. 305 as are situated within the State of Himachal	
	Pradesh.	

[F. No. NH-14013/20/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note :—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 3050(E), dated the 8th October, 2013.

2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.